प्रेस नोट

जनपद संकबीरनगर

दिनाँक 28.05.2026

क्रैक साइबर क्राइम अभियान के तहत साइबर ठगी के शिकार पीड़ित को 90,000/- रुपये की धनराशि कराई गई वापस

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** के निर्देशन में चलाए जा रहे क्रैक साइबर क्राइम अभियान के अंन्तर्गत साइबर अपराधों की रोकथाम एवं पीड़ितों को त्वरित राहत प्रदान करने हेतु साइबर क्राइम हेल्प डेस्क थाना महुली पुलिस टीम द्वारा प्रभावी कार्यवाही करते हुए साइबर ठगी के शिकार पीड़ित को 90,000/- रुपये की धनराशि वापस कराई गई।

घटना का संक्षिप्त विवरण :- वादी अनिल उपाध्याय पुत्र जयराम निवासी महुली थाना महुली जनपद संतकबीरनगर द्वारा शिकायत दर्ज कराई गई कि फरवरी 2026 में उनके खाते के माध्यम से धनराशि ट्रांसफर हो गई थी। शिकायत प्राप्त होते ही साइबर क्राइम हेल्प डेस्क थाना महुली पुलिस टीम द्वारा तत्काल आवश्यक कार्रवाई की गई । पुलिस टीम के प्रयासों एवं त्वरित समन्वय के परिणामस्वरूप दिनांक 27.05.2026 को पीड़ित के खाते में 90,000/- रुपये की धनराशि वापस कराई गई।

रिकवर कराने वाले अधि0/कर्मचारीगण:- थानाध्यक्ष श्री दुर्गेश पाण्डेय, उ0नि0 श्री अनुज यादव, का0 अंकित पटेल, का0 सोनू यादव,म0का0 कमलेश कुमारी।

जनपद पुलिस की अपील :- जनपद पुलिस द्वारा आम नागरिकों से अपील की जाती है कि किसी भी अज्ञात व्यक्ति द्वारा भेजे गए लिंक, कॉल या संदेश पर विश्वास न करें तथा अपनी बैंक संबंधी जानकारी, ओटीपी, पासवर्ड या यूपीआई पिन किसी के साथ साझा न करें। सावधानी ही सुरक्षा है।

शान्ति भंग (170/126/135 बीएनएसएस) में 23 अभियुक्त गिरफ्तार

थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।
थाना बखिरा पुलिस द्वारा 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।
थाना बेलहरकला पुलिस द्वारा 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 04 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।
थाना धर्मसिहंवा पुलिस द्वारा 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 17 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 524 वाहनों से 6,54,000 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया

आज दिनाँक 28.05.2026 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रो मे बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियो की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 524 वाहनों से 6,54,000 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया।

दहेज लोभियों के विरुद्ध थाना महुली पुलिस की बड़ी कार्यवाही:- दहेज मृत्यु के मामले में वांछित 03 अभियुक्तगण को किया गया गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** द्वारा चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सुशील कुमार सिंह*** के मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी धनघटा ***श्री अभयनाथ मिश्रा*** के निकट पर्यवेक्षण में थानाध्यक्ष महुली ***श्री दुर्गेश पाण्डेय*** के नेतृत्व में में गठित टीम द्वारा मु0अ0सं0 212/2026 धारा 80(2)/85 बीएनएस व ¾ डीपी एक्ट में वांछित 03 अभियुक्तगण नाम पता 01. रमेश चन्द्र यादव पुत्र रामफेर 02. गोरखनाथ यादव उर्फ इन्द्रेश पुत्र रामफेर यादव 03. कान्ती देवी पत्नी गोरखनाथ निवासी बघाड़ी उर्फ परसादीपुर थाना महुली जनपद संतकबीरनगर को अगया उर्फ सिदाही मोड़ से गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

विदित हो कि वादी द्वारा दिनांक 27.05.2026 को थाना महुली पर लिखित सूचना दी गई थी कि उनकी बहन को प्रतिवादीगण द्वारा दहेज की नाजायज मांग को लेकर काफी समय से शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा था तथा उनके साथ लगातार मारपीट की जा रही थी। दिनांक 27.05.2026 को वादी की बहन संदिग्ध व जली हुई अवस्था में मृत मिली थी। महिला सम्बन्धी अपराध की गंभीरता को देखते हुए थाना महुली पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए उक्त अभियुक्तगण को आज गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस बल का विवरणः- उ0नि0 श्री जगन्नाथ सिंह यादव, म0हे0का0 पुष्पा यादव, का0 राजमंगल यादव, का0 मनीष कुमार।